

रांची, रविवार 16.02.2020

इक्फाइ विवि में डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा पर सम्मेलन



रांची. इक्फाइ विवि, झारखंड में शनिवार को भारत में डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा कानूनों पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ. विवि के कुलपति प्रो ओआरएस राव ने कहा कि मोबाइल, इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे प्रौद्योगिकी के नवाचार ने आम आदमी के दिन-प्रतिदिन के जीवन में सुविधा और लागत की बचत की. जबकि साइबर अपराधी सूचनाओं की चोरी, रैनसमवेयर हमलों, बैंक एकाउंट हैकिंग, डिटेलिंग कंप्यूटर नेटवर्क जैसे अपराध करने के लिए प्रौद्योगिकी में क्रमजोरी का पता लगा रहे हैं. प्रवर्तन निदेशालय के उप निरीक्षक सुबोध कुमार ने कहा कि झारखंड ने मनी लांड्रिंग एक्ट के कारण साइबर अपराध की रोकथाम के लिए भारत में पहले साइबर अपराध की सजा देने का गौरव हासिल

किया है. अधिवक्ता एके दास ने कहा कि व्यक्तिगत डेटा के लिए केंद्रीय डिपॉजिटरी स्थापित करने की आवश्यकता है. आइसीसी के निदेशक अमिताभ चौधरी ने साइबर अपराध पर जागरूकता फैलाने और सामान्य पुलिस द्वारा भी इसकी रोकथाम के उपायों पर जोर दिया. झारखंड बार काउंसिल के सदस्य महेश तिवारी ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया, कार्यक्रम को छोटानागपुर लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉ पंकज चतुर्वेदी, डॉ श्रीनिवास मर्ली, नेशनल लॉ विवि के डॉ सिग्रामाला एचइसी एचंआर निदेशक डॉ मृदल कुमार सक्सेना ने भी विचार व्यक्त किये. सर्वश्रेष्ठ पत्रों के लेखक को पुरस्कृत किया गया. प्रो आलोक कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया:

दैनिक भारकर

रांची, १६ फरवरी, 2020

डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा कानूनों पर राष्ट्रीय सम्मेलन

रांची इक्फाई विवि में शनिवार को भारत में डेटा गोपनीयता और साइंबर सुरक्षा कानूनों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रवर्तन निदेशालय के उप-निरीक्षक सुबोध कुमार, आईसीसी के निदेशक अमिताभ चौधरी, झारखंड बार काउंसिल के सदस्य महेश तिवारी आदि मौजूद रहे। वीसी प्रो. ओआरएस राव ने कहा की मोबाइल, इंटरनेट, क्लाउड



रांची, रविवार, 16 फरवरी 2020

www.sanmarglive.com

इक्फाई विवि में डेटा गोपनीयता व साइबर सुरक्षा सम्मेलन

संवाददाता
रांची : ईक्फाई
विश्वविद्यालय में
शनिवार को भारत में
डेटा गोपनीयता और
साइवर सुरक्षा
कानूनों पर राष्ट्रीय
सम्मेलन का
आयोजन किया



गया। सम्मेलन में विश्वविद्यालय के कुलपित प्रो ओआएस एव ने कहा कि मोबाइल, इंटरनेट, क्लाउड कम्प्यूटिंग, प्लास्टिक केड्स जैसे प्रौद्योगिकी के नवाचार ने आम आदमी के जीवन में सुविधा और लागत की बचत की है। लेकिन, दूसरी ओर साइबर अपराधियों ने सूचनाओं की चोरी, रैनसमवेयर हमलों, बँक अकाउंट्स की हैंकिंग और डीटेलिंग कंप्यूटर नेटवर्क जैसे अपराध बढ़ा दिये हैं। उन्होंने कहा कि क्रॉस ब्रोथ ट्रांजेक्शन और डेटा

एन्क्रिप्शन साइबर अपराधों की जांच में कई तरह की चुनौतियां हैं। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने कहा कि झारखंड ने मनी लाउड़िंग एक्ट के कारण साइबर अपराध की रोकथाम के लिए भारत में पहले साइबर अपराध की सजा देने की पहल हुई है। झारखंड बार काउंसिल के सदस्य अमित कुमार दास ने कहा कि व्यक्तिगत डेटा के लिए केंद्रीय डिपॉजिटरी स्थापित करने की आवश्यकता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रमावी जांच को सक्षम तरीके से लागू करने के लिए नवीनतम तकनीकों और प्रशिक्षण से लैस होना जरूरी है। बीसीसीआई के अमिताभ चौधरी ने साइबर अपराध पर जागरूकता फैलाने और सामान्य पुलिस के जिर्ये इसकी रोकथाम के उपायों पर जोर दिया। कार्यक्रम में छोटानागपुर लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉ पंकज चतुर्वेदी, डॉ श्रीनिवास मर्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के डॉ सियामाला कंडडिया, एचईसी के निदेशक (एचआर) डॉ मृदल कुमार सक्सेना समेत अन्य ने हिस्सा लिया।